न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–124 / 2017–18

राज्य बनाम नागेन्द्र सिंह वगैरह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06/03/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के पत्रांक 151 दिनांक 01.02.2018 से प्राप्त विविध वाद सं0 14 / 2017–18 के आलोक में आरम्भ की गयी। अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा मौजा–माधोपुर, थाना नं0 138, खाता नं0 264, खेसरा नं0 527, रकवा 17डी0 गैरमजरूआ आम, किस्म गढ़ा भूमि के लिए कायम जमाबंदी सं0 69 एवं 919 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। न्यायालय से कार्रवाई आरम्भ करते हुए श्री नागेन्द्र सिंह, पिता स्व0 रामदेव सिंह, ग्राम–राघोपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना एवं श्री चन्द्रिका राय, पिता स्व0 शिव बरण राय, साकिन–रामनगर दीयरा, गंज के डेरा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना को नोटिस की गयी। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी चन्द्रिका राय की तरफ से वकालतनामा एवं प्रतिउत्तर दायर किया गया, जबकि नोटिस तामिला के बाद भी नागेन्द्र सिंह की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर का प्रतिवेदन है कि :– (1) राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा–माधोपुर, थाना नं0 138, खाता नं0 264, खेसरा सं0 527 कुल रकवा 17डी0 गैर मजरूआ आम भूमि है, जो वर्तमान में परती एवं गढ़ा है। उक्त भूखण्ड पर आज तक किसी का दखल–कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में विवादित भूखण्ड पर चन्द्रिका राय, पिता स्व0 शिव बरण राय, साकिन–राम नगर दियारा, गंज के डेरा, थाना–बख्तियारपुर के द्वारा दावा किया जा रहा है। (2) अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा चन्द्रिका राय एवं नागेन्द्र सिंह को नोटिस की गयी। नागेन्द्र सिंह के द्वारा अंचलाधिकारी के न्यायालय में उपस्थिति दी गयी, परन्तु कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। चन्द्रिका राय के द्वारा अपने दावा के पक्ष में केवाला, पंजी–2 की प्रति, दाखिल खारिज आदेश, हुकुमनामा एवं लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी। मूल कागजात की मांग करने पर मूल कागजात नहीं दिखाए गये। (3) हुकुमनामा मध्यवर्ती लखी नारायण सिंह द्वारा निर्गत है, जिसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। भूतपूर्व जमीन्दारों को गैर मजरूआ आम भूमि बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं था।	

(4) प्रस्तुत जमीन्दारी रसीद वर्ष 1956 की है, जो हुलसी देवी, पति रामदेव सिंह के नाम से है। उक्त जमीन्दारी रसीद की प्रमाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि उसपर मुहर नहीं है।

(5) विवादित भूखण्ड यदि हुकुमनामा से व्यक्ति विशेष को दिया गया था तो रिटर्न में उसका नाम होना चाहिए एवं बिहार सरकार के लगान निर्धारण से सम्बन्धित एम फार्म भी रहना चाहिए, जो प्रस्तुत नहीं किया गया।

(6) हुलसी देवी, पति रामदेव सिंह के पुत्र नागेन्द्र सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड ललिया देवी, पति शिवचरण राय के नाम से केवाला लिखा गया है। नागेन्द्र सिंह उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा जमीन पर उनके स्वामित्व संबंधी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

(7) वर्तमान में विवादित भूखण्ड पर किसी का दखल–कब्जा नहीं है, न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे कि प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल कब्जा प्रमाणित हो सके।

(8) विवादित भूखण्ड गैरमजरूआ आम है, जिस पर विपक्षी के द्वारा किए गए दावा के समर्थन में दिये गए कागजातों को भ्रामक एवं गलत बताते हुए अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा जमाबंदी सं0 69 एवं 919 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

विपक्षी चन्द्रिका राय के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रश्नगत भूखण्ड खाता नं0 264, खेसरा नं0 527, रकबा 17डी0 भूतपूर्व मध्यवर्ती के स्वामित्व का भूखण्ड था, जिसे दिनांक 13.11.1940 के हुकुमनामा के द्वारा हुलसी देवी, पति रामदेव सिंह को बन्दोबस्त कर दखल दिया गया।

(2) हुलसी देवी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर दखल में आने के बाद उसकी भराई कर उसे कृषि कार्य योग्य बनाया गया।

(3) जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार की पंजी में हुलसी देवी के नाम से जमाबंदी कायम की गयी तथा लगान अदा किया जाने लगा।

(4) हुलसी देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्र नागेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह एवं गजेन्द्र सिंह, विवादित भूखण्ड पर दखल में आये तथा विवादित भूखण्ड से 2 कट्ठा भूमि की बिक्री दिनांक 02.02.1981 के केवाला से ललिया देवी को की गयी। ललिया देवी विपक्षी चन्द्रिका राय की माँ है।

(5) खरीदगी के पश्चात ललिया देवी विवादित भूखण्ड पर दखल में आयी तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होने लगी।

(6) ललिया देवी अपने पीछे चार पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गयी। बड़े पुत्र चन्द्रिका राय (विपक्षी) के द्वारा अभी तक अपनी माता ललिया देवी के नाम पर लगान अदा किया जा रहा है।

(7) अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा दिनांक 28.02.1994 को भी नोटिस कर कागजात की मांग की गयी थी। इस विपक्षी के द्वारा साक्ष्य जमा किया गया, जिसके बाद अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा कार्रवाई समाप्त कर दी गयी। पुनः 23 वर्ष के बाद जमाबंदी रद्द करने हेतु नोटिस निर्गत किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(8) विपक्षी एवं उनके भाईयों के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के स्वत्व को

लेकर सब जज–1, बाढ़ के न्यायालय में टाईटिल सूट सं0 16/2018 दायर किया गया है। जिसमें समाहर्ता, पटना, अपर समाहर्ता, पटना एवं अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर को पक्षकार बनाया गया था। जब तक सक्षम व्यवहार न्यायालय से स्वत्व एवं दखल का निर्णय नहीं हो जाता है, जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई स्थगित रखनी चाहिए।

(9) प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व में हुलसी देवी के नाम से कायम थी। बाद में ललिया देवी के नाम से जमाबंदी कायम की गयी। इतनी पुरानी जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

(10) भूतपूर्व मध्यवर्ती को गैरमजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूखण्ड को बन्दोबस्त करने का पूर्ण अधिकार था।

(11) विपक्षी के द्वारा वाद की कार्रवाई को बन्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) टाईटिल सूट सं0 16/2018 की याचिका की प्रति

(2) दिनांक 13.11.1940 का हुकुमनामा

(3) हुलसी देवी के नाम से निर्गत जमीन्दारी रसीद

(4) हुलसी देवी की जमाबंदी सं0 69 पर रकबा 17डी0 के लिए निर्गत वर्ष 1965–66 की लगान रसीद

(5) ललिया देवी की जमाबंदी सं0 914 पर रकबा 2 कट्ठा के लिए निर्गत वर्ष 1983–84 की लगान रसीद

(6) दिनांक 02.02.1981 का केवाला

राज्य की तरफ से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) प्रश्नगत भूखण्ड गैर मजरूआ आम किस्म गढ़ा है। गैरमजरूआ आम भूखण्ड को बन्दोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं था। बिहार सरकार के ऐसे अनेक निर्देश है तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिया गया है।

(2) विपक्षी के द्वारा अपने दावा के पक्ष में प्रस्तुत किए गए कागजातों की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। विपक्षी के द्वारा छाया–प्रति दाखिल की गयी है। मूल कागजात न तो अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर को दिखलाया गया, न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड अभी भी परती एवं गढ़ा के रूप में है। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी का दखल कब्जा नहीं है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड का कुल रकबा 17डी0 का हुकुमनामा हुलसी देवी को प्राप्त होने की बात कही जा रही है। हुलसी देवी के वारिसान के द्वारा उसमें से 2 कट्ठा की बिक्री इस वाद के विपक्षी चन्द्रिका राय की माता ललिया देवी को कर दी गयी, अर्थात हुकुमनामा के मुताबिक हुलसी देवी के वारिसान के पास अभी भी $10\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड रहनी चाहिए, परन्तु हुलसी देवी के पुत्र नागेन्द्र सिंह के द्वारा उक्त $10\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड पर अपने दावा से संबंधित कोई साक्ष्य यथा लगान रसीद भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 1940 का उक्त हुकुमनामा फर्जी है तथा हुलसी देवी एवं ललिया देवी के नाम से कायम जमाबंदियाँ अवैध है।

(5) विपक्षी चन्द्रिका राय एवं उनके भाईयों के द्वारा क्रय की गयी 2 (दो) कट्ठा भूमि के लिए सब जज–1 बाढ़ के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0

16/2018 दायर किया गया है। उक्त स्वत्व वाद में समाहर्ता, पटना, अपर समाहर्ता, पटना एवं अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर को पक्षकार बनाया गया है। मात्र स्वत्व वाद दायर कर किये जाने से जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई पर रोक नहीं लगायी जा सकती। प्रश्नगत जमाबंदियाँ अवैध है, अतः उन्हें रद्द किया जाना विधि सम्मत होगा। स्वत्व वाद का आदेश अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा प्रेषित अभिलेख के अवलोकन तथा विपक्षी एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड खाता नं0 264, खेसरा नं0 527, रकबा 17डी0 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम किस्म गढ़ा दर्ज है।

(2) विपक्षी दिनांक 13.11.1940 के सादा हुकुमनामा से हुलसी देवी को प्रश्नगत भूखण्ड 17डी0 प्राप्त बताते हैं, परन्तु हुकुमनामा की प्रमाणिकता संदिग्ध है क्योंकि विपक्षी के द्वारा मूल हुकुमनामा प्रस्तुत नहीं गया।

(3) हुलसी देवी के पुत्रों के द्वारा वर्ष 1981 में उक्त भूखण्ड में से दो कट्ठा की बिक्री ललिया देवी (विपक्षी चन्द्रिका राय की माता) को कर दी गयी। इस प्रकार कुल 17डी0 में से दो कट्ठा की बिक्री के पश्चात शेष $10\frac{1}{2}$डी0 की जमाबंदी हुलसी देवी के पुत्र नागेन्द्र सिंह एवं अन्य के नाम से कायम रहनी चाहिए, परन्तु ऐसी किसी जमाबंदी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वर्ष 1940 का हुकुमनामा, जमीन्दारी रसीद एवं वर्ष 1965-66 की हुलसी देवी के नाम से निर्गत लगान रसीद जैसे सभी साक्ष्य संदेहास्पद हो जाते है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड गैर मजरूआ आम किस्म गढ़ा है, अर्थात यह एक जल निकाय है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और ऐसी भूमि को बन्दोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं था। अवैध आधार पर कायम ऐसी जमाबंदी को रद्द करने का निदेश राजस्व विभाग के पत्रांक 4097 दिनांक 23.09.1953 एवं पत्रांक 914 दिनांक 09.12.1988 के द्वारा दिया गया है।

(5) Civil Appeal no. 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य में दिनांक 28.01.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश में ऐसे सभी जल निकाय जो सार्वजनिक उपयोग में है, के लिए अवैध रूप से कायम जमाबंदियों को रद्द कर उन्हें वापस लेने का आदेश सभी राज्य सरकारों को दिया गया है।

(6) प्रश्नगत भूखण्ड अभी भी परती एवं गड्ढा के रूप में है, इस पर किसी का दखल-कब्जा नहीं है।

उपर्युक्त सभी तथ्यो पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड गैरमजरूआ आम सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसे बन्दोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं था। प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षीगण के दखल-कब्जा में भी नहीं है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड कुल 17डी0 के लिए हुलसी देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 69 एवं उससे निर्गत ललिया देवी की जमाबंदी सं0 914 को अवैध मानते हुए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-9 के अन्तर्गत रद्द

करने का आदेश दिया जाता है।

प्रश्नगत भूखण्ड के $6\frac{1}{2}$ डी0 रकबा के लिए विपक्षी चन्द्रिका राय एवं अन्य के द्वारा सब जज—1, बाढ़ के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 16/2018 दायर किया गया है। अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर उक्त स्वत्व वाद में सरकार की तरफ से समुचित पैरवी करेंगे।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर एवं विपक्षीगण को उपलब्ध करायें।

लेखापित एवं संशोधित।

6/3/18
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

6/3/18
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना